



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2015/आश्विन 17, 1937

No. 624]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2015/ASVINA 17, 1937

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(जीव जंतु कल्याण प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2015

**सा.का.नि. 770(अ).**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (सचिव) भर्ती नियम, 2014 को अधिकांत करते हुए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के अधीन भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड, चेन्नै में सचिव (समूह क) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (सचिव) भर्ती नियम, 2015 होगा।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड अथवा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और संबंधित मामले उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 तक विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— वह व्यक्ति,  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
सचिव	01 (एक)* (2015)  (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा; समूह 'क', राजपत्रित  (अननुसचिवीय)	वेतन बैण्ड - 3 15600-39100/- रूपए +ग्रेड वेतन 7600/- रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
7 लागू नहीं			8 लागू नहीं	9 लागू नहीं	
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना, यदि कोई है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
10	11		12	13	
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:  (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने 6600/-रु0; ग्रेड पे सहित वेतन बैंड-3		लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।	

	<p>(15600-39100/-रू.) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो।</p> <p>(ख) जिनके पास प्रशासन का, बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों इत्यादि के आयोजन का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पणी : केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बारा पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को शामिल करते हुए प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--	--

[ फा. सं. 11/02/2014-एडब्ल्यूडी ]

अनिल बहुगुणा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

(ANIMAL WELFARE DIVISION)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2015

**G.S.R. 770(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Animal Welfare Board of India (Secretary) Recruitment Rules, 2014, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Secretary (Group 'A') in the Animal Welfare Board of India, Chennai under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

**1. Short title and commencement. -**

- (1) These rules may be called the Animal Welfare Board of India (Secretary) Recruitment Rules, 2015
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. -** The number of the said post, its classification, the pay band and grade pay or pay scale shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of Recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified to columns 5 to 13 of the said Schedule.

**4. Disqualification.** - No person, -

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.** - Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Secretary	01 (One)* (2015)  (* subject to variation dependent on workload)	General Central Service; Group 'A'; Gazetted  (Non-Ministerial)	Pay Band- 3 Rs.15,600 – 39,100/- plus Grade Pay Rs.7,600/-	Not Applicable	Not Applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of Probation, if any
7			8		9
Not Applicable			Not Applicable		Not Applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
By deputation	<p><u>Deputation:</u> Officers under the Central Government:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600 – 39,100/-) with grade pay of Rs.6,600/-;</p> <p>(b) Having experience in administration, organizing meetings, seminars, conferences etc.</p> <p>Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>	Not Applicable	Consultation of Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 11/02/2014-AWD]

ANIL BAHUGUNA, Jt. Secy.